

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 706]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2015/कार्तिक 26, 1937

No. 706]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2015/KARTIKA 26, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन खंड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 864(अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 167 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1552, तारीख 16.12.1960 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित वाणिज्य पोत परिवहन (दीन नाविक) नियम, 1960 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[सं. 20019/2/1/2014 –एम ए]

आलोक श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(SHIPPING WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2015

G.S.R. 864(E).—In exercise of the powers conferred by section 167 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(X of 1897), the Central Government hereby rescinds the Merchant Shipping (Distressed Seamen) Rules, 1960 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 1552 dated the 16th December, 1960, except as respects things done or omitted to be done before such recession.

[No. 20019/2/1/2014-MA]

ALOK SRIVASTAVA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 865(अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 87, धारा 83 और धारा 457 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1682, तारीख 22 अगस्त, 1970 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित वाणिज्य पोत परिवहन (सेवा प्रमाण-पत्र) नियम, 1970 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[सं. 20019/2/2/2014 –एम ए]

आलोक श्रीवास्तव, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2015

G.S.R. 865(E).—In exercise of the powers conferred by section 87, section 83 and section 457 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(X of 1897), the Central Government hereby rescinds the Merchant Shipping (Certificate of Service) Rules, 1970 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 1682 dated the 22nd August, 1970, except as respects things done or omitted to be done before such recession.

[No. 20019/2/2/2014-MA]

ALOK SRIVASTAVA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 866(अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 414 और धारा 457 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1705 (अ), तारीख 6 दिसम्बर, 1977 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित वाणिज्य पोत परिवहन (रेट) नियम, 1977 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[सं. 20019/2/3/2014 –एम ए]

आलोक श्रीवास्तव, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2015

G.S.R. 866(E).—In exercise of the powers conferred by section 414 and section 457 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(X of 1897), the Central Government hereby rescinds the Merchant Shipping (Rates) Rules, 1977 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 1705 dated the 6th December, 1977, except as respects things done or omitted to be done before such recession.

[No. 20019/2/3/2014-MA]

ALOK SRIVASTAVA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 867(अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 296, धारा 291 और धारा 457 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 7 जनवरी, 1983 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित वाणिज्य पोत परिवहन (रेडियो) नियम, 1983 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[सं. 20019/2/4/2014 –एम ए]

आलोक श्रीवास्तव, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2015

G.S.R. 867(E).—In exercise of the powers conferred by section 296, section 291 and section 457 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(X of 1897), the Central Government hereby rescinds the Merchant Shipping (Radio) Rules, 1983 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 15(E) dated the 7th January, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such recession.

[No. 20019/2/4/2014-MA]

ALOK SRIVASTAVA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 868(अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 83 और धारा 87 के खंड (ख), (ग) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 712 (अ), तारीख 3 सितम्बर, 1985 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित वाणिज्य पोत परिवहन (मास्टर और मेटों की परीक्षा) नियम, 1985 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[सं. 20019/2/5/2014 –एम ए]

आलोक श्रीवास्तव, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2015

G.S.R. 868(E).—In exercise of the powers conferred by section 83 and clauses (b), (c) and (d) of Section 87 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(X of 1897), the Central Government hereby rescinds the Merchant Shipping (Examination of Masters and Mates) Rules, 1985 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 712(E) dated the 3rd September, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such recession.

[No. 20019/2/5/2014-MA]

ALOK SRIVASTAVA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 869(अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 87 और धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 424 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्यिक नौसेना में इंजीनियर अधिकारियों की परीक्षा) नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[सं. 20019/2/6/2014 –एम ए]

आलोक श्रीवास्तव, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2015

G.S.R. 869(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 and section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(X of 1897), the Central Government hereby rescinds the Merchant Shipping (Examination of Engineer Officers in the Merchant Navy) Rules, 1989 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 424(E) dated the 4th April, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such recession.

[No. 20019/2/6/2014-MA]

ALOK SRIVASTAVA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 870(अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 87 और धारा 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 591 (अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित वाणिज्य पोत परिवहन (सक्षमता प्रमाण पत्र) नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[सं. 20019/2/7/2014 –एम ए]

आलोक श्रीवास्तव, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2015

G.S.R. 870(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 and section 81 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(X of 1897), the Central Government hereby rescinds the Merchant Shipping (Certificates of Competency) Rules, 1989 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 591(E) dated the 2nd June, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such recession.

[No. 20019/2/7/2014-MA]

ALOK SRIVASTAVA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 871(अ).—रक्षा नौका (अर्हता और प्रमाणन) नियम, 1963 को विखंडित करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्रीय सरकार साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 288 की उपधारा (2) के खंड (ज) और धारा 344 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, ये वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 344 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उसके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के समाप्ति पर विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, तो अपर सचिव, (पोत परिवहन खंड), पोत परिवहन मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली – 110002 को संबोधित किए जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप अधिसूचना

केंद्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 288 की उपधारा (2) के खंड (ज) और धारा 344 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 194, तारीख 25 जनवरी, 1963 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित रक्षा नौका (अर्हता और प्रमाणन) नियम, 1963 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[सं. 20019/2/8/2014 –एम ए]

आलोक श्रीवास्तव, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2015

G.S.R. 871(E).—The following draft of notification to rescind the Lifeboatmen's (Qualification and Certificates) Rules, 1963, which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 288 and section 344 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(X of 1897), is hereby published as required by sub-section (1) of section 344 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Additional Secretary (Shipping Wing), Ministry of Shipping, Transport Bhawan, New Delhi-110002;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft notification before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Central Government.

Draft Notification

In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 288 and section 344 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(X of 1897), the Central Government hereby rescinds the Lifeboatmen's (Qualification and Certification) Rules, 1963 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 194 dated the 25th January, 1963, except as respects things done or omitted to be done before such recession.

[No. 20019/2/8/2014-MA]

ALOK SRIVASTAVA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 872(अ).—वाणिज्य पोत परिवहन (करस्थम संदेश और नौ परिवहन चेतावनी) नियम, 1964 को विखंडित करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्रीय सरकार साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 356 और 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, ये वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 356 द्वारा यथा अपेक्षित उसके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के समाप्ति पर विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, तो अपर सचिव, (पोत परिवहन खंड), पोत परिवहन मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली – 110002 को संबोधित किए जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप अधिसूचना

केंद्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 157, तारीख 17 जनवरी, 1964 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित वाणिज्य पोत परिवहन (करस्थम संदेश और नौ परिवहन चेतावनी) नियम, 1964 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[सं. 20019/2/9/2014 –एम ए]

आलोक श्रीवास्तव, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2015

G.S.R. 872(E).—The following draft of notification to rescind the Merchant Shipping (Distress Messages and Navigation Warnings) Rules, 1964, which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by section 356 and section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (X of 1897), is hereby published as required by section 356 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Additional Secretary (Shipping Wing), Ministry of Shipping, Transport Bhawan, New Delhi-110002;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft notification before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Central Government.

Draft Notification

In exercise of the powers conferred by section 356 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (X of 1897), the Central Government hereby rescinds the Merchant Shipping (Distress Messages and Navigational Warnings) Rules, 1964 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 157 dated the 17th January, 1964, except as respects things done or omitted to be done before such recession.

[No. 20019/2/9/2014-MA]

ALOK SRIVASTAVA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 873(अ).—वाणिज्य पोत परिवहन (पॉयलेट लैडर) नियम, 1967 को विखंडित करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्रीय सरकार साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 288 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, ये वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 288 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उसके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के समाप्ति पर विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, तो अपर सचिव, (पोत परिवहन खंड), पोत परिवहन मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली – 110002 को संबोधित किए जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप अधिसूचना

केंद्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 288 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1650, तारीख 21 अक्टूबर, 1967 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित वाणिज्य पोत परिवहन (पॉयलेट लैडर) नियम, 1967 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[सं. 20019/2/10/2014 –एम ए]

आलोक श्रीवास्तव, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2015

G.S.R. 873(E).—The following draft of notification to rescind the Merchant Shipping (Pilot Ladder) Rules, 1967, which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (o) of the sub-section (2) of section 288 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(X of 1897), is hereby published as required by sub-section (1) of section 288 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Additional Secretary (Shipping Wing), Ministry of Shipping, Transport Bhawan, New Delhi-110002;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft notification before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Central Government.

Draft Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (o) of the sub-section (2) of section 288 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(X of 1897), the Central Government hereby rescinds the Merchant Shipping (Pilot Ladder) Rules, 1967 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 1650 dated the 21st October, 1967, except as respects things done or omitted to be done before such recession.

[No. 20019/2/10/2014-MA]

ALOK SRIVASTAVA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 874(अ).—वाणिज्य पोत परिवहन (मस्टर) नियम, 1968 को विखंडित करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्रीय सरकार साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 288 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क), (झ), (ट), (ड) और (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, ये वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 288 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उसके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के समाप्ति पर विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, तो अपर सचिव, (पोत परिवहन खंड), पोत परिवहन मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली – 110002 को संबोधित किए जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप अधिसूचना

केंद्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 288 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क), (झ), (ट), (ड) और (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1284, तारीख 3 जुलाई, 1968 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित वाणिज्य पोत परिवहन (मस्टर) नियम, 1968 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[सं. 20019/2/11/2014 –एम ए]

आलोक श्रीवास्तव, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2015

G.S.R. 874(E).—The following draft of notification to rescind the Merchant Shipping (Muster) Rules, 1968, which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (a), (i), (k), (m) and (p) of sub-section (2) of section 288 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(X of 1897), is hereby published as required by sub-section (1) of section 288 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Additional Secretary (Shipping Wing), Ministry of Shipping, Transport Bhawan, New Delhi-110002;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft notification before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Central Government.

Draft Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (a), (i), (k), (m) and (p) of sub-section (2) of section 288 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(X of 1897), the Central Government hereby rescinds the Merchant Shipping (Muster) Rules, 1968 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 1284 dated the 3rd July, 1968, except as respects things done or omitted to be done before such recession.

[No. 20019/2/11/2014-MA]

ALOK SRIVASTAVA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 875(अ).—वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा कन्वेंशन प्रमाण पत्र) नियम, 1968 को विखंडित करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्रीय सरकार साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 7 की उपधारा (2), धारा 299ख की उपधारा (2) के खंड (घ), धारा 344 और धारा 344-अ के खंड (घ) और (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, ये वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 299ख की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उसके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के समाप्ति पर विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, तो अपर सचिव, (पोत परिवहन खंड), पोत परिवहन मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली – 110002 को संबोधित किए जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप अधिसूचना

केंद्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 7 की उपधारा (2), धारा 299ख की उपधारा (2) के खंड (घ), धारा 344 और धारा 344-अ के खंड (घ) और (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 814 तारीख 11 अप्रैल, 1968 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा कन्वेंशन प्रमाण पत्र) नियम, 1968 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[सं. 20019/2/12/2014 –एम ए]

आलोक श्रीवास्तव, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2015

G.S.R. 875(E).—The following draft of notification to rescind the Merchant Shipping (Safety Convention Certificates) Rules, 1968, which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7, clause (d) of sub-section (2) of 299B, section 344 and clauses (d) and (o) of section 344-I of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(X of 1897), is hereby published as required by sub-section (1) of section 299B of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Additional Secretary (Shipping Wing), Ministry of Shipping, Transport Bhawan, New Delhi-110002;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft notification before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Central Government.

Draft Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7, clause (d) of sub-section (2) of 299B, section 344 and clauses (d) and (o) of section 344-I of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958)

read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(X of 1897), the Central Government hereby rescinds the Merchant Shipping (Safety Convention Certificates) Rules, 1968 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 814 dated the 11th April, 1968, except as respects things done or omitted to be done before such recession.

[No. 20019/2/12/2014-MA]

ALOK SRIVASTAVA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 876(अ).—वाणिज्य पोत परिवहन (रेडियो डायरेक्शन फाइंडर्स) नियम, 1968 को विखंडित करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्रीय सरकार साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 296 और धारा 458 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, ये वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 299ख की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उसके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के समाप्ति पर विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, तो अपर सचिव, (पोत परिवहन खंड), पोत परिवहन मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली – 110002 को संबोधित किए जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप अधिसूचना

केंद्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 296 और धारा 458 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1283 तारीख 3 जुलाई, 1968 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित वाणिज्य पोत परिवहन (रेडियो डायरेक्शन फाइंडर्स) नियम, 1968 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[सं. 20019/2/13/2014 –एम ए]

आलोक श्रीवास्तव, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2015

G.S.R. 876(E).—The following draft of notification to rescind the Merchant Shipping (Radio Direction Finders) Rules, 1968, which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by section 296 and sub-section (2) of section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(X of 1897), is hereby published as required by sub-section (1) of section 299B of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Additional Secretary (Shipping Wing), Ministry of Shipping, Transport Bhawan, New Delhi-110002;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft notification before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Central Government.

Draft Notification

In exercise of the powers conferred by section 296 and sub-section (2) of section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(X of 1897), the Central Government hereby rescinds the Merchant Shipping (Radio Direction Finders) Rules, 1968 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 1283 dated the 3rd July, 1968, except as respects things done or omitted to be done before such recession.

[No. 20019/2/13/2014-MA]

ALOK SRIVASTAVA, Addl. Secy.